<u>न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर</u>

अपील / आरटीआई / 01 / 2023

श्री प्रखर शाह पुत्र अशोक कुमार शाह, निवासी बागीदौरा जिला बांसवाडा राज0 ....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>दिनांक 20.02.2023</u>

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी श्री प्रखर शाह पुत्र अशोक कुमार शाह, निवासी बागीदौरा जिला बांसवाडा राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 23 / 79 दिनांक 19.1.23 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र दिनांक 13.2.2023 शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे सम्पूर्ण सूचना नहीं दी है, पूर्ण सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / स्था / रा.लो.सू.आ. / 2023 / 711 दिनांक 13.2.2023 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने उक्त पत्र जबाब में अंकित किया है कि :–

> "......अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.7.2022 पर की गई गयी कार्यवाही की सूचना चाही गयी है, इस कार्यालय की पत्रावली में प्राप्त शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी डीग से रिपोर्ट चाही गयी है, उपखण्ड अधिकारी डीग से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस कार्यालय की पत्रावली में की गयी कार्यवाही से सबंधित सूचना उपलब्ध करा दी गयी है.........।"

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / आरटीआई / 01 / 2023
प्रखर शाह बनाम अति.जिला कलक्टर

लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से यह स्पष्ट है कि उनके पास जो सूचना उपलब्ध थी उसे प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। शेष सूचना तहसीलदार डीग से प्राप्त नहीं होने के कारण प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जासकी है। यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। निणर्य की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जाती है। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर